

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :-

जगदीश प्रसाद गौड़,
आर.ए.एस.

गुण्डा एक्ट प्रकरण संख्या :- 01/2021

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक, झुन्झुनू ।

—बनाम—

बिल्लू पुत्र शेरसिंह धानक, निवासी कुहाड़वास, पुलिस थाना बुहाना, जिला झुन्झुनू।

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 2 खण्ड (ख)(5)
राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975

उपस्थिति :-

1. श्री सहायक लोक अभियोजक (प्रथम) —————सरकार की ओर से।

—निर्णय—

दिनांक 03.12.2021

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि पुलिस अधीक्षक, झुन्झुनू ने दिनांक 01.01.2021 को गैर सायल बिल्लू पुत्र शेरसिंह धानक, निवासी कुहाड़वास, पुलिस थाना बुहाना, जिला झुन्झुनू के खिलाफ इस्तगासा पेश किया कि बिल्लू पुत्र शेरसिंह धानक, निवासी कुहाड़वास, पुलिस थाना बुहाना, जिला झुन्झुनू का रहने वाला है जो एक अपराधिक मनोवृत्ति का बदमाश व्यक्ति है। जो अवैध शराब का धन्धा करता है जिससे युवा पीढी में नशे की लत होने का भय है। इसने कस्बा खेतड़ी व आस-पास के इलाके में आम नागरिकों को भयभीत व आतंकित कर रखा है, इसकी अपराधिक गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं, इसके डर से कोई भी व्यक्ति इसके खिलाफ थाने पर सूचना या रिपोर्ट देने से डरता है तथा ना ही कोई गवाही देने के लिए तैयार है। इसकी आपराधिक गतिविधियों से युवा पीढी व समाज पर विपरित असर पड़ रहा है। इसके खिलाफ अब तक 2 अभियोग दर्ज किये गये हैं जिनमें से दोनों प्रकरणों में न्यायालय द्वारा अपराधी मानकर दण्डित किया गया है इसके जिले की सीमाओं में रहने से अपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। उक्त शख्स द्वारा किये गये अपराध एवं दोषसिद्धि का विवरण निम्न प्रकार है :-

5-11-21
अति. जिला मजिस्ट्रेट
झुन्झुनू



1. अभियोग संख्या 236/18 दिनांक 19.10.18 धारा 19/54 आबकारी अधि० थाना बुहाना, में पंजीबद्ध होकर आरोप पत्र संख्या 155 दिनांक 30.10.18 को न्यायालय श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट बुहाना में पेश किया गया। जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुये 1000 रु. अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।

2. अभियोग संख्या 46/19 दिनांक 15.03.19 धारा 19/54 आबकारी अधि० थाना बुहाना, में पंजीबद्ध होकर आरोप पत्र संख्या 26 दिनांक 28.03.19 को न्यायालय श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट बुहाना में पेश किया गया। जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुये दिनांक 30.08.19 को पांच हजार रुपये के स्वयं के मुचलकों पर छः माह सदाचार के लिए पांबद एवं 1000 रु. अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।

इस प्रकार उक्त बिल्लू पुत्र शेरसिंह धानक, निवासी कुहाड़वास, पुलिस थाना बुहाना, जिला झुंझुनू का यह कृत्य राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 के खण्ड (ख) उपखण्ड (5) की परिभाषा में पूर्ण रूप से आता है, जिसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावें।

इस्तगासा पेश होने पर गैर सायल को उसके खिलाफ लगाये आरोपों की सूचना को नोटिस देकर तलब किया गया तथा दिनांक 14.09.2021 को गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम का सारांश सुनाया गया, जिसे गैर सायल द्वारा स्वीकार किया जाने पर बहस अन्तिम सुनी गई।

दौराने बहस विद्वान एपीपी-1 ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि गैर सायल के खिलाफ पुलिस थाना बुहाना, झुंझुनू में 2 अभियोग दर्ज होकर न्यायालय में चालान पेश किये गये हैं तथा दोनों ही प्रकरणों में गैर सायल जुर्माने से दण्डित हुआ है। इस प्रकार गैर सायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधि० 1975 की धारा 2 खण्ड (ख) के उपखण्ड (5) में अंकित धारा के अधीन 2 बार दोषसिद्ध होने के कारण गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः इसे झुंझुनू जिले से निष्कासित किया जावे।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात/साक्ष्य के मुताबिक बिल्लू पुत्र शेरसिंह धानक, निवासी कुहाड़वास,

— 111 —
अति. जिला मजिस्ट्रेट
झुंझुनू

न्यायालय को प्रेषित करेंगे। यह निर्णय दिनांक 03.12.2021 के पश्चात 15 दिवस के बाद से प्रभावी होगा। निर्णय की प्रति पुलिस अधीक्षक झुन्झुनू को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।



11/7
जिला मजिस्ट्रेट
(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
झुन्झुनू

निर्णय आज दिनांक 03.12.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11/7
03-12-2021
जिला मजिस्ट्रेट
(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
झुन्झुनू